DIR/10

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 26—अप्रैल 1, 2005 (चैत्र 5, 1927)

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 26—APRIL 1, 2005 (CHAITRA 5, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

National Housing Bank
(Wholly Owned by the Reserve Bank of India)
New Delhi

HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 2001

Direction No. NHB.HFC.DIR.10/CMD/2005 dated March 11, 2005

The National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system in the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall **with immediate effect**, be further amended in the following manner, namely:-

1. In clause (t), in Paragraph 2:-

(i) for sub-clause (ii), the following shall be substituted, namely:-

"(ii) a term loan (other than the one granted to an agriculturist or to a person whose income is dependent on the harvest of crops) inclusive of unpaid interest, when the instalment is over due for more than six months or on which interest amount remained past due for six months;"

(ii) for proviso (ii), the following shall be substituted, namely:-

"(ii) a term loan (other than the one granted to an agriculturist or to a person whose income is dependent on the harvest of crops) inclusive of unpaid interest, when the instalment is over due for a period of ninety days or more or on which interest amount remained over for a period of ninety days or more;"

(iii) after proviso (viii) the following may be inserted namely:-

"(ix) a term loan granted to an agriculturalist or to a person whose income is dependent on the harvest of crops if the instalment of principal or interest thereon remains unpaid:

(a) for two crop seasons beyond the due date if the income of the borrower is dependent on short duration crops, or

(b) for one crop season beyond the due date if the income of the borrower is dependent on long duration crop.

Explanation

(1) For the purpose of this sub-clause "long duration" crops would be crops with crop season longer than one year and crops, which are not "long duration" crops, would be treated as "short duration" crops.

(2) The crop season for each crop means the period up to harvesting of the crops raised, would be as determined by the State Level Bankers' Committee in each State."

(P.K. Gupta)

Chairman and Managing Director

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्वाधीन)

नई दिल्ली

आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001

निर्देश सं. एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.10/सीएमडी/2005 दिनांक 11 मार्च, 2005

राष्ट्रीय आवास बैंक जनहित में एवं इस बात से संतुष्ट होकर कि राष्ट्रीय आवास बैंक देश में आवास वित्त प्रणाली विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ व इसके लाभार्थ यह आवश्यक समझता है कि ऐसा करना अपेक्षित है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987/53) की धाराओं 30ए तथा 31 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 में निम्नानुसार और संशोधन तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं:

1. अनुच्छेद 2 में , धारा (न) में :-

(i) उप-धारा (ii) के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(ii) सावधि ऋण (कृषक या ऐसे व्यक्ति जिसकी आय खेती की फसल पर निर्भर हो, को प्रदत्त ऋण के अतिरिक्त) एवं अदत्त ब्याज, जब किस्त छह माह से अधिक या जिस पर ब्याज की राशि पिछले छह माह से देय हो;"

(ii)परन्तुक (ii) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(ii) सावधि ऋण (कृषक या ऐसे व्यक्ति, जिसकी आय खेती की फसल पर निर्भर हो, को प्रदत्त ऋण के अतिरिक्त) एवं अदत्त ब्याज, जब किस्त नब्बे दिन से अधिक या जिस पर ब्याज की राशि नब्बे दिन या अधिक से देय हो;"

(iii)परन्तुक (viii) के बाद निम्नलिखित निविष्ट किया जाए, अर्थात्:-

"(ix) सावधि ऋण जो कृषक या ऐसे व्यक्ति, जिसकी आय खेती की फसल पर निर्भर हो, को प्रदत्त ऋण यदि मूलधन की किस्त या ब्याज अदत्त रहा है;

(क) यदि ऋणी की आय अल्पकालिक फसल पर निर्भर हो, तो नियत तारीख के बाद दो फसलों तक, या

(ख)यदि ऋणी की आय दीर्घकालिक फसल पर निर्भर हो, तो नियत तारीख के बाद एक फसल तक ।

व्याख्या

(i) इस उप-धारा के प्रयोजनार्थ "दीर्घकालिक" फसल एक वर्ष से अधिक समय की फसलें होंगी, और जो "दीर्घकालिक" फसलें नहीं हैं वे "अल्पकालिक" फसलें मानी जाएंगी।

(2) प्रत्येक फसल के सीजन की अवधि फसल कटाई तक होगी जिसका निर्धारण प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा किया जाएगा ।"

(पी.के. गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक